ऑन लाईन नं.RCMS2023/69

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं **अति0** जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 38/2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

2. श्री अमन कुमार अरोड़ा पुत्र श्याम सुन्दर अरोड़ा —खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक— **मै0** प्रिया प्रोविजन स्टोर, तीन पुली, गोविन्दनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 27.03.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.08.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2020/830 दिनांक 26.10.2020 एवं क्षेत्राधिकार अधिसूचना 11.04.2012 अनुसार प्रकाशित के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.10.2021 को 11.00 ए.एम का **मै0** प्रिया प्रोविजन स्टोर, तीन पुली, गोविन्दनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विकेता अमन कुमार अरोड़ा पुत्र श्याम सुन्दर अरोड़ा को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर 500—500 मिली के डब्बे बैच नम्बर 10 दिनांक अक्टुबर 21 मार्केटिंग बाय प्रगति फुड पप्रोडक्ट सेक्टर 27—28 इण्डट्रियल एरिया हिसार लिखा हुआ 10 डिब्बे **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। मुझे इसी **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड)** 500—500 मिली के 4 पैक डिब्बे को विकेता से कय किया। विकेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 880/— रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अमन कुमार अरोड़ा पुत्र श्याम सुन्दर अरोड़ा एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक अमन कुमार अरोड़ा पुत्र श्याम सुन्दर अरोड़ा को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड) के 500–500 मिली के 4 पैक डिब्बों पर** लैबल तैयार कर चिपकायें और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1211** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1211** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रैपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एव मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एव समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अमन कुमार अरोड़ा पुत्र श्याम सुन्दर अरोड़ा एव गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म न 06 की आठ प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एव फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा Director, Referra, Food Laboratory, Pune को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एव शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

Director, Referra, Food Laboratory, Pune द्वारा जारी जाच रिपोर्ट क्रमांक RFL/P/DO/125/22/154 2022 dated 15-03-2022 को प्राप्त हुई जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1211 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त अमन कुमार अरोड़ा पुत्र श्याम सुन्दर अरोड़ा **मै0** प्रिया प्रोविजन स्टोर तीन पुली गोविन्दनगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.03.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:– प्रार्थी गली नम्बर 1, वार्ड नम्बर 50/65 तीन पुली, गोंविन्दनगर, श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी **मै0** प्रिया प्रोविजन स्टोर, तीन पुली, गोविन्दनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 439/2023 दिनांक 09.03.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड)** की जांच की गई तो **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड) Sub-Standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड)** में सुधार कर लिया है, भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1211** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–ए RFL/P/DO/125/22/154 /2022 dated 15-03-2022 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी गली नम्बर 1, वार्ड नम्बर 50/65 तीन पुली, गोंविन्दनगर, श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी **मै0** प्रिया प्रोविजन स्टोर, तीन पुली, गोविन्दनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 439/2023 दिनांक 09.03.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड)** की जांच की गई तो **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड) Sub-Standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **घी (पंजाब प्योर ब्राण्ड)** में सुधार कर लिया है, भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Ghee (Punjab Pure Brand) " bearing Code No and Sr. No. K-1211, does not conform to the standards of Ghee as per Regulation No. 2.1.8 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011. And further amendments, on the basis of tests performed. Hence found to be Sub-standard as per section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards 2006. (2) I am also the opinion that, it contravenes Regulation 2.3.8 of Food Safety and Standards (Prohibition & Restriction on Sales) Regulations, 2011 and Further amendments.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

फलस्वरूप अभियक्त अमन कुमार अरोड़ा पुत्र श्याम सुन्दर अरोड़ा को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त अमन कुमार अरोड़ा पुत्र श्याम सुन्दर अरोड़ा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000—00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में अमन कुमार अरोड़ा पुत्र श्याम सुन्दर अरोड़ा खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)